माननीय राजस्व मंडल महोदय, ग्वालियर मध्य, प्रदेश,

==

रा. निग. प्र. क्र. /- I/निगरानी/छतरपुर/भू.रा.सं./2017/4497 सन् 2017

मिथलेश-चंद तनय लक्ष्मनदास अग्रवाल आयु 73 वर्ष,

नि. हरपालपुर हरिहर रोड तह. नौगांव जिला-

छतरपुर म.प्र. -- ---निगरानीकर्ता

बनाम

1. म.प्र. शासन द्वारा तहसीलदार महोदय, नौगांव

जिला- छतरपुर म.प्र.,

2. अनुविभागीय अधिकारी महोदय, नौगांव

जिला- छतरपुर म.प्र. --

----- अनावेदकगण

श्री चन्द्रेश श्रीवास्तव, अभि. द्वारा आज दि. 16-11-17 को प्रस्तुत

16 (हस्ताक्षर) राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

दि. 8-12-17

निगरानी न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय, नौगांव जिला- छतरपुर म.प्र. के क्र. 103/121 /17आदेश दि. 8-7-17 के विरूद्ध एवं आदेश दिनांक 31/07/17

======================================

महोदय,

आवेदक निम्नांकित सादर विनय प्रस्तुत करता है:-

1. यह कि संक्षिप्त में मामला इस प्रकार है कि, महादेवसिंह जी जिला सुलतानपुर सुगर फैक्ट्री हरपालपुर में पट्टा बंदोवस्ती 1945 में पदस्थ प्रशासनिक अधिकारी से मारूसी पट्टा बंदोवस्त तक के लिये भूमि ख.नं. 2232, 2233, 2238, 2239, 4364/ 2360, 4325/2256 का कुल रकवा 18.57 डेसीमल का

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2017/4497 **जिला** – छतरपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
06.12.2017	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री चन्द्रेश श्रीवास्तव एवं अनावेदक शासन की ओर से पैनल अधिवक्ता श्री प्रखर डेंगुला उपस्थित। उभयपक्षों को ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के पत्र क. 103/बी–121/17 दिनांक 08.07.2017 एवं आदेश दिनांक 31.07.2017 के विरुद्ध पेश की गई है। निगरानी आवेदन के साथ आवेदक द्वारा अवधि विधान की धारा–5 का आवेदन एवं निगरानी प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किए जाने का आवेदन प्रस्तुत किया है। 2/ प्रकरण का अवलोकन किया एवं उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया। संहिता की धारा 48 के प्रावधानों के तहत आलोच्य आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि निगरानी/अपील आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। और यदि किसी कारणवश प्रमाणित प्रतिलिपि पेश नहीं की जा रही है तो धारा–48 के तहत आवेदन दिया जाना आवश्यक है। आवेदक द्वारा निगरानी आवेदन के साथ न तो प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है और ना ही संहिता की धारा–48 के तहत प्रमाणित प्रतिलिपि से छूट दिए जाने का कोई आवेदन प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में यह निगरानी विधिवत प्रस्तुत न किए जाने के कारण ग्राह्य योग्य नहीं है। परिणामतः अग्राह्य की जाती है। प्रशासकीय सदस्य	